



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

No. 101]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 108(अ).—दिल्ली विकास (विधि) नियमावली, 1959 के उप-नियम-4 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा हिन्दी संवर्ग के विभिन्न पदों हेतु भर्ती विनियमों को बनाता/संशोधित करता है, जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा) के पद हेतु भर्ती विनियम

क्र.सं.	मानक प्ररूप/भर्ती विनियमों का कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में संशोधन	इन संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण
1.	पद का नाम	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा)	वर्तमान पद का नाम केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के पैटर्न के अनुसार बदला गया है।
2.	पदों की संख्या	*19(1992) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	14 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन)	वर्तमान भर्ती विनियमों में पदों की स्वीकृत संख्या 19 है। (लेकिन वास्तव में इन्हें 10 माना गया)। तथापि, दि.वि.प्रा. में संवर्ग समीक्षा समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संस्थापना आदेश संख्या 1032 दिनांक 18.06.2010 द्वारा पदों को पुनः निर्धारित करके 14 कर दिया गया। इस प्रकार इस ग्रेड में 04 पदों की वृद्धि हुई।
3.	वर्गीकरण	समूह-ग	समूह-ख	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार पद वर्गीकरण का उन्मयन किया

				गया है।
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	1400-40-1600-50-2300-र रो 60-2600/-रुपये	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपये +ग्रेड वेतन 4200/- रुपये	दि.वि.प्रा. ने संकल्प संख्या 20/20 दिनांक 03.06.2009 द्वारा अपनाई गई केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुसूची अनुपालन में वेतनमान को संशोधित है जिसे संस्थापना आदेश संख्या दिनांक 06.10.2009 द्वारा परिष्कारित किया गया।
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है।	चयन	लागू नहीं	भर्ती की पद्धति के अनुसार लागू
6.	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत देय है।	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	
7.	सौधी भर्ती के लिए आयु सीमा	28 वर्ष	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों अथवा निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	कार्यिक एवं प्रशिक्षण विभाग की संख्या जी.एस.आर. 758 (ई) दिनांक 21.12.98 के अनुसार
8.	सौधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<b>अनिवार्य:</b> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य/ऐच्छिक/मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिंदी सहित हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री  <b>वांछनीय:</b> केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव	<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष  अथवा  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष, और  (ii) हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र कोर्स अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमस्वायत्त निकायों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव	
9.	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत और प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	
10.	परिवर्द्धा की अवधि, यदि कोई हो.	दो वर्ष	कोई परिवर्तन नहीं	
11.	भर्ती की पद्धति- सौधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	सौधी भर्ती द्वारा	कोई परिवर्तन नहीं	

	प्रतिशतता			
12.	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/आगमन द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आगमन किया जाना है।	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं	सीधी भर्ती द्वारा भर्ती की जाएगी।
14.	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे इस संबंध में केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य विशेष श्रेणियों अथवा व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।	कोई परिवर्तन नहीं	
15.	निरहता	कोई भी व्यक्ति, जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया हो अथवा दूसरा विवाह करने का अनुबंध किया हो।	कोई भी व्यक्ति (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो  अथवा  (ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो,  वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्त कि रक्षक प्राधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।	
16.	स्थितिल करने की शक्ति	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा	कोई परिवर्तन नहीं	

		समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति अथवा पदों से संबंधित इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।		
--	--	--	--	--

**दिल्ली विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ अनुवादक (राजभाषा) के पद हेतु भर्ती विनियम**

क्र. सं.	भर्ती विनियमों का मानक प्ररूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में संशोधन	इन संशोधनों के टिप्पणी/कारण
1.	पद का नाम	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	वरिष्ठ अनुवादक (राजभाषा)	पद का नाम केन्द्र सचिवालय राजभाषा सेवा मानकों के अनुसार रखा गया है।
2.	पदों की संख्या	*04(1992) कार्य	06 (कार्यभार के आधार पर पकितार्शन के अधीन)	विद्यमान भर्ती विनियमों वरिष्ठ अनुवादकों की संख्या 04 कर दी गई है। तब संस्थापना आदेश संख्या दिनांक 18.06.2010 द्वारा दि.प्रा. में कैंडर समीक्षा रिपोर्ट को लागू करने परिणामस्वरूप अनुवादकों की पुनर्निर्धारित संख्या 06 है। अतः इनमें 02 पदों की बढ़ोतरी हुई है।
3.	वर्गीकरण	समूह- 'ख'	कोई परिवर्तन नहीं	—
4.	वेतन ग्रेड एवं वेतन/वेतनमान	1640-60-2600-द.री. 75-2900/-रुपये (संशोधित वेतनमान-5500-8000 रु.)	वेतन ग्रेड-2 अर्थात् 9300-34800/- रुपये + ग्रेड वेतन 4600/- रुपये	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग अनुशंसाओं के अनुसार वेतनमान को संशोधित किया है जो दि.वि.प्रा. संकल्प सं. 20/2009 दि. 03.06.2009 द्वारा पकित किया गया और इसे संकल्प आदेश संख्या 1988 दि. 06.10.2009 द्वारा पकित किया गया।
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है।	चयन	चयन पद	—
6.	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशान नियम 1972) के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए वर्षों का लाभ प्राप्‍त है।	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—
7.	सोची भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों अथवा निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण की अभिसूचना संख्या अतः 758(ई) दि. 21.12.98 के अनुसार
8.	सोची भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं	<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष अथवा	

			<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष, और</p> <p>(ii) हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमत अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र कोर्स अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमत अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव</p>	
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति में भी लागू होंगी ?	लागू नहीं	आयु - नहीं शैक्षिक योग्यता-जी हाँ ।	
10.	परिवर्षा की अवधि, यदि कोई हो,	दो वर्ष	लागू नहीं	क्यापि पदोन्नति उसी समूह में है ।
11.	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा एवं विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, यदि यह संभव न हो तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।	पदोन्नति द्वारा, यदि यह संभव न हो तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और यदि दोनों असफल रहें तो सीधी भर्ती द्वारा ।	इस प्राक्याण का परिणाम कर्मचारियों के लिए उनके फीडर ग्रेड में अवरोध नहीं होगा क्योंकि सीधी भर्ती अंतिम विकल्प है ।
12.	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	<p>पदोन्नति :</p> <p>कनिष्ठ हिंदी अनुवादक/तकनीकी सहायक (हिंदी) के पद से पदोन्नति द्वारा, इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के अंतर्गत समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी अथवा केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के अंतर्गत 1400-2600/- रु. के वेतनमान में 5 वर्ष का संबंध अनुभव प्राप्त कर्मचारी ।</p>	<p>पदोन्नति :</p> <p>कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा) जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता प्राप्त की हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग/संगठन में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत हों अथवा (ii) वेतन बैंड-2, 4200/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800/- रु. के पद पर कार्यरत हों अथवा इस ग्रेड में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो और (ख) कॉलम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए दी गई शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं प्राप्त कर्मचारी ।</p>	कारजा, दिनांक 24.03.2008 के अनुसार सेवा मानदण्डों की अवधि ।
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति	गर्ग 'ख' अधिकारियों के लिए विरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति जिसे दि.वि. प्रा. द्वारा समय-समय पर रूखा अधिसूचित किया गया हो (केवल पदोन्नति हेतु)	विभागीय पदोन्नति समिति के गठन को दि.वि.प्रा. अलग से अधिसूचित करता है और इसमें समय-समय पर परिवर्तन भी किया जाता है । इसलिए विभागीय पदोन्नति

				समितिके संकेत उल्लेख किए गए विभागीय प्रलेख गठन के संबंध में विनियमों के संशोधन न हो।
14.	बच्चाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे इस संबंध में केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों अथवा व्यक्तियों को मिलने वाले आक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	कोई परिवर्तन नहीं	
15.	निरहता	ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया हो अथवा दूसरा विवाह करने का अनुबंध किया हो।	कोई भी ऐसा व्यक्ति: (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा (ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो यह उक्त किसी इष्ट पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्त कि यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेष्य है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।	
16.	शिथिल करने की शक्ति	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।	कोई परिवर्तन नहीं	

## दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु भर्ती विनियम

क्र. सं.	मानक प्रारूप/ भर्ती विनियमों का कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में संशोधन	इन संशोधनों हेतु
1.	पद का नाम	हिन्दी अधिकारी	सहायक निदेशक (राजभाषा)	पद का नाम केन्द्रीय राजभाषा सेवा के अनुसार परिवर्तित

स्तर का है ताकि समिति के होने पर सी प्रकार आवश्यकता

2.	पद की संख्या	01	03 (कार्यभार के आकार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	विद्यमान भर्ती विनियमों में संस्वीकृत संख्या 01 दर्शायी गई है (किन्तु वास्तव में 02 माना गया है)। तथापि संस्थापना आदेश सं. 1032 दिनांक 18.6.2010 द्वारा दि.वि.प्रा. में कैंडिड सनीक्षा समिति की रिपोर्ट को लागू करने के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारित संख्या 03 के रूप में स्वीकार की गई है। अतः इस घेब में 01 पद की बढ़ोतरी की गई है।
3.	वर्गीकरण	श्रेणी-II	समूह 'क'	वर्गीकरण केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में दिए गए वेतनमान/ समूह और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के लिए दि.वि.प्रा. में गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार किया गया है और इसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	350-25-500-30-590-द.रो.- 30-800-द.रो.- 30-830-35-900/ रु. (पीचवै केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार 6500-10500/- + रु. सद्दा वेतनमान)	वेतन बैंड-3 अर्थात् 15600-39100/-रु.+ग्रेड वेतन 5400/-रु.	वेतनमान को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में संशोधित किया गया है जिन्हे दि. वि.प्रा. द्वारा संकल्प सं. 703/2009 दिनांक 03.06.2009 द्वारा अपनाया गया है और जिन्हे संस्थापना आदेश सं. 1988 दिनांक 06.10.2009 द्वारा परिचालित किया गया है।
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है।	लागू नहीं	चयन पद	यह प्राक्यान भर्ती विनियम का अभिन्न भाग है। अतः मौडल भर्ती विनियमों के अनुसार उल्लिखित है।
6.	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है ?	भर्ती विनियम में नहीं है।	लागू नहीं	नियम 29 के नीचे जी.आई.डी. को ध्यान में रखते हुए पेशन नियम के नियम 30 का प्राक्यान लागू नहीं होता है।
7.	सौधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष (उपयुक्त मामलों में छूट)	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकती है)	उपयुक्त फार्म में आयु सीमा निर्धारित की गई है। उचित मामलों में छूट को प्राक्यान से हटा दिया गया है क्योंकि यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौडल भर्ती विनियमों में विद्यमान नहीं है।
8.	सौधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<b>अनिवार्य :</b> डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री <b>वांछनीय :</b> किसी भी सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठित संगठन में अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का अनुभव और सामयिक मामलों की अच्छी जानकारी का होना तथा विद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षण का अनुभव।	<b>अनिवार्य:</b> 1. डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता अथवा डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता और 2. केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों में अंग्रेजी से हिन्दी में और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का 8 वर्ष का	

/कारण

लय के है।

			अनुभव । आयु - नहीं शैक्षणिक योग्यता - हाँ	
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत कर्मचारी और प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी के मामले में लागू होंगी ?	नहीं		
10.	परिवर्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष	कोई परिवर्तन नहीं	
11.	भर्ती की पद्धति चाहे वह सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती पदोन्नति हेतु : वे अधिकारी जिनके पास 350-575/- रु. के वेतनमान में सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार हेतु अर्हता हो ।	पदोन्नति द्वारा यदि यह संभव न हो तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और यदि दोनों ही न हो पाएं तो सीधी भर्ती द्वारा ।	संयुक्त पद्धति पद्धतियों का स्थान किया गया है ।
12.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में उस ग्रेड का नाम, जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है ।	सरकारी/ स्थानीय निकायों से 350-900/- रु. के वेतनमान वाले अधिकारी। (विद्यमान भर्ती नियमों में दर्शाये गए इस कॉलम के शीर्षक को "प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में यह ग्रेड जिससे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया गया है" के रूप में पढ़ा जाए)	पदोन्नति : परिष्ठ अनुवादक (राजभाषा) से, जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं हों । प्रतिनियुक्ति : केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग/संगठन में नियमित अक्षर पर शब्द पद पर कार्यरत हो अथवा (ii) वेतन बैंड-2 में 4800/रु. के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800/-रु. के वेतनमान वाले पद अथवा समकक्ष ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और (ख) जिनके पास कॉलम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों ।	
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ?	विभागीय पदोन्नति समिति में उपस्थित अभियन्ता सदस्य, वित्त सदस्य और सचिव हैं ।	समूह "क" के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति जिसे दि.दि.प्रा. द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किया गया हो (केवल पदोन्नति हेतु)	विभागीय पदोन्नति दि.दि.प्रा. द्वारा अधिसूचित किया गया है। गठन में समय-समय पर भी किन्हीं-किसी केवल विभागीय स्तर का चले विभागीय पदोन्नति परिवर्तन होने की किसी प्रकार की आवश्यकता
14.	बचाव	भर्ती विनियम में नहीं है	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केंद्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा	



			समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों अथवा व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
15.	निरहता	भर्ती विनियम में नहीं है	कोई भी ऐसा व्यक्ति— (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा करने का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा (ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया है, वह उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, बशर्त कि सक्षम प्राधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट हो कि वह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वे उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।
16.	शिथिल करने की शक्ति	भर्ती विनियम में नहीं है	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे शिथिल रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु भर्ती विनियम

क्र. सं.	मानक प्रारूप/ भर्ती विनियमों का कौलम	दिल्ली प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में प्राक्यान	दिल्ली प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में संशोधन	इन संशोधनों हेतु टिप्पणियाँ/कारण
1.	पद का नाम	उप सचिव (हिन्दी)	उप निदेशक (राजभाषा)	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के मानदण्डों के अनुसार पद के नाम में परिवर्तन किया गया है।
2.	पद की संख्या	*01 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	कोई परिवर्तन नहीं	
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'	कोई परिवर्तन नहीं	
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	3000-100-3500-125-4500 रु. (10000-325-15200/-रु. में संशोधित)	वेतन बैंड-3 अर्थात् 15600-39100/-रु. +6600/-रु. ग्रेड वेतन	वेतनमान को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार संशोधित किया गया है जिन्हें दि. वि. प्रा. द्वारा संकल्प सं. 20/2009

				दिनांक 03.06.2008 गया और जिन्हें सं. 1988 दिनांक 03 परिचालित किया गया
5.	क्या धयन पद है अथवा अधयन पद है?	धयन	धयन पद	
6.	क्या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है ?	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगी ?	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	
10.	परिदीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं क्योंकि यह उसी समूह 'क' में है।
11.	भर्ती की पद्धति चाहे वह सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	कोई परिवर्तन नहीं	
12.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में उस ग्रेड का नाम, जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	<b>पदोन्नति:</b> हिन्दी अधिकारियों में से जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है तथा जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता हो— (i) डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष <b>प्रतिनियुक्ति:</b> उन अधिकारियों में से जो अधिकतम 4 वर्ष की अवधि से केंद्र/राज्य सरकार में संपूर्ण पदों पर कार्यरत हों।	<b>पदोन्नति:</b> सहायक निदेशक (राजभाषा) में से जिन्होंने ग्रेड में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता हो (i) डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष अथवा डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष <b>प्रतिनियुक्ति:</b> ऐसे अधिकारियों से जो मूल केंद्र/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के	प्राकानों का उल्लेख उल्लेख किया गया दिनांक 24.3.2008 आदेश के अनुसार

			उपक्रम/स्वायत्त निकायों में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हों अथवा जिनकी वेतन बैंड-3 अर्थात् 5400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/-रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।	
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ?	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति	समूह "क" के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित किया गया है। (केवल पदोन्नति हेतु)	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन दि.वि.प्रा. द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित किया जाता है और इसके गठन में समय समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। अतः केवल विभागीय पदोन्नति समिति के स्तर का उल्लेख किया गया है ताकि विभागीय पदोन्नति समिति के गठन में परिवर्तन सहित भर्ती विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता न हो।
14.	बधाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों अथवा व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य शिवायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	कोई परिवर्तन नहीं	
15.	निरर्हता	कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह किया हो अथवा करने का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो।	कोई भी ऐसा व्यक्ति- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा (ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, वह उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट हो कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।	

16.	शिथिल करने की शक्ति	जब अप्पक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकॉर्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्ति अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।	कोई परिवर्तन नहीं
-----	---------------------	---	-------------------

[सं. एक. 7(138)2  
डी. स.]

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**  
**PERSONNEL BRANCH-I**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2015

**G.S.R. 108(E).**—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 read with sub-rule-4 of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, the Delhi Development Authority makes /modify with the previous approval of the Central Government the recruitment regulations for Hindi Cadre which may be read as under:—

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR TRANSLATOR (OFFICIAL LANGUAGE) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

Sl. No.	Standard format/ Col. of RRs.	Provisions in the existing RRs of DDA	Modifications in the existing RRs of DDA	
1.	Name of Post	Junior Hindi Translator	Junior Translator (Official Language)	The the path Sec Lan
2.	No. of Post	*19 (1992) Subject to variation dependent on work load	14 (subject to variation dependent on work load)	The indi strem actu acco How open Cadre Con DDA dated re-de has 1 Here incre the g
3.	Classification	Group 'C'	Group 'B'	The c post l as pe of 6th
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600/-	Pay Band-2 Rs. 9300-34800/-with Grade Pay of Rs. 4200/-	The g modifi with mena Cent

				mission as adopted by DDA vide Resolution No. 20/2009 dated 03.06.2009 circulated vide E.O. No. 1988 dated 06.10.2009.
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Selection	Not applicable	Not applicable as per method of recruitment.
6.	Whether benefits of added years of service admissible under Rule-30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Not applicable	No change	—
7.	Age limit for direct recruits	28 years	Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. employees in accordance with the orders or instructions issued by Central Govt.)	As per DOPT's notification no.GSR 758 (E) dated 21/12/98.
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p><u>Compulsory:</u></p> <p>1. Master Degree from a recognized University in Hindi/English with English/Hindi as a compulsory/Elective main subject at Degree level.</p> <p><u>Desirable</u></p> <p>Two years experience of translation work form Hindi to English and vice-versa in the Central Government/ State Govt./Local Bodies or Public Sector Undertakings</p>	<p><u>Essentials:</u></p> <p>(i)Master's Degree from a recognized university or equivalent in Hindi with English as a subject at the Degree Level;</p> <p>Or</p> <p>Master's Degree from recognized university or equivalent in English with Hindi as a subject at the Degree Level; and</p> <p>(ii)Recognized Diploma/ Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government Offices/ Public Sector undertaking/ Autonomous bodies.</p>	
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	Not applicable	No change	
10.	Period of probation, if any.	Two years	No change	

11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	By direct recruitment	No change	
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	Not applicable	No change	
13.	If a DPC exists, what is its composition.	Group 'C' DPC	Not applicable	The Recruitment
14.	Savings	Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation or age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes,  OBCs, Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.	No change	
15.	Disqualification	No person who has entered into or contract a second marriage when his/her spouse is alive	No person: a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or b) Who having spouse living has entered into or contracted a marriage with any person. Shall be eligible for appointment to the said posts provided that the Competent Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these regulations.	

16.	Power to Relax	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category or persons or posts.	No change.	
-----	----------------	--	------------	--

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SENIOR TRANSLATOR ( OFFICIAL LANGUAGE) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format /Col. of RRS.	Provisions in the existing RRS of DDA	Modifications in the existing RRs of DDA	Remarks/Reasons for such modifications
1.	Name of Post	Senior Hindi Translator	Senior Translator (Official language)	The name of the post changed as per norms of Central Secretariat Official Language Services)
2.	No. of Post	*04 (1992) subject to variation dependent on work load	06 (subject to variation dependent on work load)	The existing RRS indicate the sanctioned strength as 04. However, consequent upon implementation of Cadre Review Committee Report in DDA vide EO No. 1032 dated 18.06.2010, the re-determined strength has been taken as 06. Hence, there is an increase of 02 posts of the grade.
3.	Classification	Group 'B'	No change	---
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/- (revised to Rs. 5500-9000)	Pay Band-2 i.e. Rs. 9300-34800/-with Grade Pay of Rs. 4600/-	The pay scale has been modified in accordance with the recommendations of 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission as adopted by DDA vide Resolution No. 20/2009 dated 03.06.2009 circulated vide E.O. No. 1988 dated 06.10.2009.
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Selection	Selection Post	---
6.	Whether benefits of added years of service admissible under Rule-30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Not Applicable	No change	---
7.	Age limit for direct recruits	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. employees in accordance with the	As per DOPT's notification no.GSR 758 (E) dated 21/12/98.

			orders or instructions issued by the Central Govt.)	
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable	(1) <u>Essential:</u> (i) Masters Degree from a recognized university or equivalent in Hindi with English as a subject at the Degree Level; or Masters Degree from recognized university or equivalent in English with Hindi as a subject at the Degree level; and  (ii) Recognized Diploma/Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or five years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/ State Government Offices/Public Sector undertaking/ Autonomous bodies.	
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists?	Not Applicable	Age - No Educational Qualification - Yes	
10.	Period of probation, if any.	Two years	Not Applicable	Since the promotion is in the same Group
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	This provision would not result in stagnation of officials in the feeder grade as the direct recruitment is the last resort.
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made.	Promotion From Junior Hindi Translator/Technical Assistant (Hindi), with 5 years regular service in the grade. Transfer on deputation	<u>Promotion:</u> From amongst the Junior Translators (OL) with 05 years of regular service in the grade and possessing essential educational	Length of service criteria as per OM dated 24.03.2009.



		<p>Officer holding analogous posts under the Central/State Govt./local bodies.</p> <p>OR</p> <p>Officials having 5 years relevant experience in the pay scale of Rs. 1400-2600/- in Central/State Govt./Local bodies.</p>	<p>qualifications required for direct recruits.</p> <p><u>Deputation</u></p> <p>Amongst Officers from Central/State Government/Public sector under taking/ Autonomous bodies.</p> <p>(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ organization;</p> <p>or</p> <p>(ii) Posts in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800/- with Grade pay of Rs. 4200/- or equivalent with five years regular service in the grade and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and other qualifications laid down for the direct recruits under Col.8</p>	
13.	If a DPC exists what is its composition	Group 'B' DPC	Senior level DPC for Group 'B' Officers as notified by DDA from time to time (for promotion only).	The composition of the DPC is notified by DDA separately and its constitution may also change from time to time. Hence only level of the DPC has been mentioned so that the RRS may not need any modification with the change in constitution of the DPC.
14.	Savings	Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBCs, Ex- Servicemen and other special categories of persons in	No change	

		accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.		
15.	Disqualification	No person who has entered into or contract a second marriage when his/her spouse is alive	No person: (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who having spouse living has entered into or contracted a marriage with any person. Shall be eligible for appointment to the said posts provided that the Competent Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these regulations.	
16.	Power to Relax	When the chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category or persons or posts.	No change	

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

Sl. No.	Standard format /Col. of RRS.	Provisions in the existing RRS of DDA	Modifications in the existing RRs of DDA	Remarks/Reasons for such modifications
1.	Name of Post	Hindi Officer	Assistant Director (Official Language)	The name of the post changed as per norms of Central Secretariat Official Languages Services.

2.	No. of Post	01	03 (Subject to variation dependent on work load)	The existing RRS indicate the sanctioned strength as 01 (but actually taken into account as 02). However, consequent upon implementation of Cadre Review Committee Report in DDA vide EO No. 1032 dated 18.06.2010, the re-determined strength has been taken as 03. Hence, there is an increase of 01 post of the grade.
3.	Classification	Class-II	Group - 'A'	Classification is made as per grant of Scales of Pay/Group in Central Secretariat Official Languages Services (CSOLS) and recommendation of Committee-constituted in DDA for 6 <sup>th</sup> CPC and approved by Authority.
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900 (corresponding scale as per 5 <sup>th</sup> CPC Rs. 6500-10500/-)	Pay Band-3 i.e. Rs. 15600-39100/-with Grade Pay of Rs. 5400/-	The pay scale has been modified in accordance with the recommendations of 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission as adopted by DDA vide Resolution No. 20/2009 dated 03.06.2009 circulated vide E.O. No. 1988 dated 06.10.2009.
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Not Applicable	Selection Post	This provision is an integral part of RRS. Hence

				mentioned as per model RRS.
6.	Whether benefits of added years of service admissible under Rule-30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Not in R.R.	Not Applicable	The provision of rule 30 of pension Rule are not applicable in view of GID below Rule-29.
7.	Age limit for direct recruits	35 years (Relaxable in suitable cases)	Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. employees in accordance with the orders or instructions issued by Central Govt.)	Age limit prescribed in appropriate form. The relaxation in 'suitable cases' has been omitted from the provision as the same does not exist in the Model RRs of DOPT.
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> Master's degree in Hindi with English as a subject at degree level. <u>Desirable:</u> Experience of translation work English to Hindi and vice-versa in any Govt. office or reputed organization and good knowledge of current affairs and experience of teaching Hindi in schools and colleges.	<u>Essential:</u> (i) Masters Degree from a recognized university or equivalent in Hindi with English as a subject at the Degree Level; or Masters Degree from recognized university or equivalent in English with Hindi as a subject at the Degree level; and (ii) Experience of translation work for 8 years. English to Hindi and vice-versa in Central/State Govt./ Public Sector Undertaking/Autonomous bodies.	
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists?	No	Age - No Educational qualification - Yes	---
10.	Period of probation, if any.	Two years	No change	---
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Promotion/deputation/direct  <u>For Promotion</u> Officers possessing the qualification for direct candidates in the scale of Rs. 350-575.	Promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	The methods have been described clearly omitting the composite method.
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made.	Officers in the scale of Rs. 350-900 from Govt. /local bodies. (The title of this col. shown in the existing RRS read as	<u>Promotion:</u>  From amongst the Senior Translators (OL) with 5 years of regular	

		“ In case of rectt. by deputation transfer grades from which deputation transfers to made”)	<p>service in the grade and possessing essential educational qualifications required for direct recruits.</p> <p>Deputation Officers of the Central/State Govt./Public Sector Under taking/Autonomous bodies</p> <p>(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/organization;</p> <p>or</p> <p>(ii) Posts in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800/- with Grade pay of Rs. 4600/- or equivalent with five years regular service in the grade and;</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for the direct recruits under Col.8</p>	
13.	If a DPC exists what is its composition.	DPC comprising Vice Chairman, Engineer Member, and Finance Member & Secretary exists.	Senior level DPC for Group 'A' Officers as notified by DDA from time to time (for promotion only).	The composition of the DPC is notified by DDA separately and its constitution may also change from time to time. Hence only level of the DPC has been mentioned so that the RRS may not need any modification with the change in constitution of the DPC.
14.	Savings	Not in R.R.	Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBCs, Ex- Servicemen and	

			other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
15.	Disqualification	Not in R.R.	No person: (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who having spouse living has entered into or contracted a marriage with any person. Shall be eligible for appointment to the said posts provided that the Competent Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these regulations.
16.	Power to Relax	Not in R.R.	When the Chairman, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category or persons or posts.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format /Col. of RRS.	Provisions in the existing RRS of DDA	Modifications in the existing RRs of DDA	Remarks/Reasons for such modifications
1.	Name of Post	Deputy Secretary (Hindi)	Dy. Director (Official Language)	The name of the post changed as per norms of Central Secretariat Official Language Services.
2.	No. of Post	01* *(Subject to variation depending on workload)	No change	---

3.	Classification	Group 'A'	No change	---
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Rs.3000-100-3500-125-4500 (revised to Rs. 10000-325-15200)	Pay Band-3 i.e. Rs. 15600-39100/-with Grade Pay of Rs. 6600/-	The pay scale has been modified in accordance with the recommendations of 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission as adopted by DDA vide Resolution No. 20/2009 dated 03.06.2009 circulated vide E.O. No. 1988 dated 06.10.2009.
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Selection	Selection Post	---
6.	Whether benefits of added years of service admissible under Rule-30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Not Applicable	No change	---
7.	Age limit for direct recruits	Not Applicable	No change	---
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable	No change	---
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists?	Not Applicable	No change	---
10.	Period of probation, if any.	Two years	Not applicable	Not applicable since feeder grade is also in the same Group 'A'.
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	By promotion failing which by transfer on deputation.	No change	---
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	<u>Promotion:</u> From Hindi Officers with at least 5 years regular service in the grade and 3 years regular service in the grade of Senior Hindi Translator and having the following educational qualification:	<u>Promotion:</u> From amongst the Asstt. Director (OL) with 05 years of regular service in the grade and having the following educational qualification:  (i) Masters Degree from a recognized university or equivalent in Hindi with English as a subject at the	Provisions mentioned appropriately. The qualifying service is as per OM dated 24.03.2009.

		(i) Master degree of a recognized university or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level. <u>Deputation:</u> From such of the officers holding analogous posts under Central/State Govt. for a period of maximum 4 years.	Degree Level; OR  (ii) Masters Degree from a recognized university or equivalent in English with Hindi as a subject at the Degree level. <u>Deputation#-</u> From such officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department under Central/State Govt./Public Sector Undertaking/Autonomous bodies.  Or With 5 years of regular service in the post in PB-3 i.e. Rs. 15600-39100/- with Grade pay of Rs. 5400/-	
13.	If a DPC exists what is its composition.	Group 'A' DPC	Senior level DPC for Group 'A' Officers as notified by DDA from time to time (for promotion only).	The composition of the DPC is notified by DDA separately and its constitution may also change from time to time. Hence only level of the DPC has been mentioned so that the RRS may not need any modification with the change in constitution of the DPC.
14.	Savings	Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation or age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBCs, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.	No change	
15.	Disqualification	No person who has entered into or contract a second marriage	No person: a) who has entered into or contracted a marriage	



	when his/her spouse is alive	with a person having a spouse living or b)who having spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.  Shall be eligible for appointment to the said posts provided that the Competent Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these regulations.	
6. Power to Relax	When the chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category or persons or posts.	No change	

[No. F. 7(138)/2010/PB-I/Pt.-1]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.